

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 33/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप—धारा (1), धारा 15 की उप—धारा (5), धारा 16 की उप—धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (अ) सारणी में,-
 - (i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (iड़) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्ः "व्याख्या यह मद सारणी की क्रम संख्या 3 के सामने मद (iv), (v) और (vi) की उन उप—मदों को संदर्भित करती है जो अधिसूचना संख्या 38/जीएसटी—2, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा उनके लोप होने से पूर्व अधिसूचना में विद्यमान थी":
 - (ii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (iii) में, उप–मद (ख) में, खाना (5) के नीचे, शर्त (2) में,
 - (क) ''उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) चौथे परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः —
 "परन्तु यह और कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान इसके द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के लिए प्रयोग किया गया विकल्प अगले और भावी वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकौनिज्म के तहत वापसी के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";
 - (iii) क्रम संख्या 24 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (i) में, खंड (i) में, व्याख्या के उप—खंड (ज) का लोप किया जाएगा।

- (आ) अनुबंध V में,-
 - (i) पैरा 2 में, "जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक वैध रहेगा जिसके लिए मैं नियत तिथि को या से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूँ" शब्द और चिह्न, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) टिप्पण में, ''किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (इ) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः –

"अनुबंध VI

प्ररूप

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्ररूप। संदर्भ संख्या –

\triangle	€-	
IΠ	ાચ:	_

- 2. मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज मकैनिज्म को रिवर्ट करना चाहता हूँ ;
- 3. मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से इसे एक वर्ष की अवधि के भीतर बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक मान्य रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम: -

जीएसटीआईएन :-

पैन संख्या :-

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :--

जीटीए का पूरा पता:-

(अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

टिप्पणः किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक किया जाएगा।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 33/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (A) in the Table,
 - (i) against serial number 3, under column (3), in item (ie), the following explanation shall be inserted, namely:-
 - "Explanation. –This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 38/GST-2, dated the 18th July, 2022";
 - (ii) against serial number 9, under column (3), in item (iii), in sub-item (b), under column (5), in condition (2), -
 - (a) for the words, figures and letters "on or before the 15th March of the preceding Financial Year", the words, figures and letters "on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year", shall be substituted;
 - (b) after the fourth proviso, the following proviso shall be added, namely:"Provided further that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.";
 - (iii) against serial number 24, under column (3), in item (i), in clause (i), sub-clause (h) of the explanation shall be omitted.
- (B) in Annexure V,
 - in para 2, for the words "end of the financial year for which it is exercised", the words and figures "the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date", shall be substituted;
 - (ii) in the Note, for the words, figures and letters "The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year", the words, figures and letters "The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than the 31st March of the preceding Financial Year" shall be substituted;
- (C) after Annexure V, the following annexure shall be inserted, namely:-

"Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

_	
Doto.	
Date:	-

۱.	I/We	(name of Person), authorized representative of M/s	had
	exercised option to pay GS	ST on the services of GTA in relation to transportation of goods su	applied by
	us during the financial year	runder forward charge by filing Annexure V on	;

- 2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year....;
- 3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -GSTIN:-

PAN No.: -

Signature of Authorized representative : -

Name of Authorized Signatory: -

Full Address of GTA: -

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year".

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

> DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

10495—C.S.—H.G.P., Pkl.